<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u> <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233051 CG-DL-E-01022022-233051

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, FUBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

No. 94]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सं. 07/2022-सीमाश्ल्क (एन. टी.)

सा.का.नि. 96(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) संशोधन नियम, 2022 है।
 - (2) ये नियम 1 मार्च, 2022 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 3 में, खंड (कक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंडों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातु:-
 - "(कख) "सामान्य पोर्टल" से अधिनियम की धारा 154ग में यथानिर्दिष्ट सामान्य सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल अभिप्रेत है;
 - (कग) "सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली" से भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा आदान-प्रदान प्रणाली अभिप्रेत है; (कघ) "आयात की तारीख" से ऐसे माल की निकासी के लिए अनुज्ञात की गई अधिनियम की धारा 47 के अधीन आदेश की तारीख अभिप्रेत है;"।

679 GI/2022 (1)

- 3. उक्त नियम में, नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "4. आयातक पूर्व सूचना दें (1) आयातक सामान्य पोर्टल पर एकमुश्त सूचना प्ररुप आई जी सी आर-1 (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) में प्रदान करेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी. अर्थात :-
 - (i) आयातक और उसके छुटपुट काम करने वाले का नाम और पता, यदि कोई हो;
 - (ii) आयातक या उसके छुटपुट काम करने वाले, यदि कोई हो, या दोनों की विनिर्माण सुविधा में उत्पादित माल या प्रक्रिया को अपनाना:
 - (iii) आयातक या छुटपुट काम करने वाले के, यदि कोई हो, परिसर में माल के विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित माल की प्रकृति और विवरण;
 - (iv) ऐसे आयात पर लागू छुट, अधिसूचना की विशिष्टियां;
 - (v) आयातित माल का उपयोग करके प्रदान की गई आउटपुट सेवा की प्रकृति; और
 - (vi) आयात के आशयित बंदरगाह (बंदरगाहों)
 - (2) उपरोक्त जानकारी की स्वीकृति पर, ऐसी सूचना के लिए 'रियायती दर पहचान संख्या पर माल का आयात' (आईआईएन) प्रस्तुत किया जाएगा।

परन्तु प्ररुप आई जी सी आर-1 (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) में दिए गए विवरण में परिवर्तन के मामले में सामान्य पोर्टल पर ऐसी सूचना को अद्यतन किया जा सकता है ।

- (3) ऐसा आयातक जो छूट अधिसूचना का लाभ उठाने का आशय रखता है, ऐसी प्रतिभू या प्रतिभूति के साथ एक निरंतरता बांड सौंपेगा जैसा कि यथास्थिति, सीमाशुल्क के उपायुक्त या सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त परिसर के ऊपर अधिकार क्षेत्र रखते हुए समुचित समझे, इनपुट पर उद्गणीय शुल्क के बीच अन्तर के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए एक वचनबद्धता के साथ जहां आयातित माल का उपयोग माल के निर्माण के लिए या आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए किया जाएगा, किन्तु छूट के लिए और जो पहले से भुगतान किया गया है, यदि कोई हो, आयात के समय, ब्याज के साथ, अधिनियम की धारा 28कक के तहत जारी अधिसूचना द्वारा नियत दर पर, ऐसे माल के आयात की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए, जिस पर छूट का लाभ उठाया गया था और शुल्क के अंतर की पूरी राशि वास्तविक भुगतान की तारीख के साथ समाप्त हुई थी जिसका वह भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।"।
- 4. उक्त नियम में, नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "5. पालन की जाने वाली प्रक्रिया- (1) ऐसा आयातक जो छूट अधिसूचना का लाभ उठाना चाहता है, उसे प्रविष्टि के बिल में फाइल करते समय आईआईएन (जैसा नियम 4 के उप-नियम (2) में दर्शाया गया है) और निरंतरता बांड संख्या और विवरण का उल्लेख किया जाएगा।
 - (2) तदनुसार, यथास्थिति, आयात के सीमा शुल्क स्टेशन पर सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त आयातक को छट अधिसुचना के लाभ अनुज्ञात करेगा।
 - (3) एक बार घरेलू खपत के लिए बिल की प्रविष्टि की निकासी हो जाती है, आयातक द्वारा जमा किया गया बांड स्वचालित रूप से सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली में विकलनीय हो जाता है और विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्षेत्राधिकार सीमाशुल्क अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। "।
- 5. उक्त नियम में, नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "6. **आयातक को अभिलेखों का अनुरक्षण करना** (1) आयातक को मात्रा का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के लिए ऐसी रीति में एक खाता रखना होगा -
 - (i) और आयातित माल का मूल्य;
 - (ii) और सुसंगत परिसर में आयातित माल की प्राप्ति की तारीख;
 - (iii) उपभोग किए गए ऐसे मालों की मात्रा:

- (iv) छुटपुट काम के लिए भेजे गए माल की, किए गए छुटपुट काम की प्रकृति;
- (v) छुटपुट काम के पश्चात् प्राप्त माल की मात्रा;
- (vi) नियम 7 के अधीन पुनः निर्यातित माल, यदि कोई हो; और
- (vii) प्रविष्टि के बिल के अनुसार स्टॉक में शेष

और जब कभी यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त, या सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त के परिसर पर अधिकार क्षेत्र वाले या जहां आयातित माल के विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा या जहां आवश्यक हो, उक्त खाते को प्रस्तुत करेगा।

परन्तु सुसंगत परिसर में आयात किए गए माल की गैर-प्राप्ति या कम प्राप्ति के मामले में, आयातक ऐसी गैर-प्राप्ति या कम प्राप्ति की सूचना तुरंत प्ररुप आई जी सी आर-2 (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) में सामान्य पोर्टल पर देगा।

- (2) आयातक अगले महीने के दसवें दिन तक इन नियमों से जुड़े प्ररुप आई जी सी आर-3 (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) में सामान्य पोर्टल पर मासिक विवरण प्रस्तुत करेगा।"।
- 6. उक्त नियम में, नियम 6क के स्थान पर निम्नलिखित नियमों को रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "6क. **छुटपुट काम के लिए आयातित माल को अनुज्ञा प्रदान करने की प्रक्रिया** (1) आयातक महीने के दौरान छुटपुट काम के लिए भेजे गए माल का रिकॉर्ड बनाए रखेगा और नियम 6 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट मासिक विवरण में इसका उल्लेख करेगा।
 - (2) आयातक, विवरण और माल की मात्रा को विनिर्दिष्ट करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) में उल्लिखित अनुसार, ई-वे बिल के माध्यम से, एक बीजक के अधीन या जहां भी लागू हो, छुटपुट काम के परिसर में माल भेजेगा।
 - (3) वह अधिकतम अवधि जिसके लिए छुटपुट काम को माल भेजा जा सकता है, उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट बीजक या ई-वे बिल की तारीख से छह मास होगी।
 - (4) यदि आयातक यह स्थापित करने में अयोग्य है कि छुटपुट काम के लिए भेजा गया माल नियम 4 के अधीन उल्लिखित विशिष्टियों के अनुसार उपयोग किया गया है, क्षेत्राधिकार सीमाशुल्क अधिकारी नियम 8 और 8 क के अधीन आयातक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगा।
 - (5) छुटपुट काम करने वाले,-
 - (i) ऐसी प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई हो, माल की प्राप्ति, उस पर की गई विनिर्माण प्रक्रिया और उत्पन्न अपशिष्ट का लेखा-जोखा रखेंगे:
 - (ii) जब कभी उक्त अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, क्षेत्राधिकार सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष खाता विवरण प्रस्तुत करेंगे;
 - (iii) छुटपुट काम पूरा होने के पश्चात्, बीजक या ई-वे बिल के कवर के अधीन संसाधित माल को आयातक या किसी अन्य छुटपुट काम करने वाले को आयातक द्वारा निर्देशित शेष प्रक्रियाओं, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए भेजेंगे।
 - 6ख. इकाई हस्तांतरण के लिए आयातित माल की अनुज्ञा प्रदान करने की प्रक्रिया (1) आयातक मास के दौरान इकाई हस्तांतरण के लिए भेजे गए माल का रिकॉर्ड बनाए रखेगा और नियम 6 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट मासिक विवरण में इसका उल्लेख करेगा।
 - (2) आयातक माल के विवरण और मात्रा को विनिर्दिष्ट करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) में यथाउल्लिखित ई-वे बिल के माध्यम से, एक बीजक के अधीन या जहां भी लागू हो, माल भेजेगा।
 - (3) आयातक, किसी अन्य इकाई को माल के हस्तांतरण के संबंध में, -
 - (i) ऐसी प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई हो, माल की प्राप्ति, उस पर की गई विनिर्माण प्रक्रिया और उत्पन्न अपशिष्ट का लेखा-जोखा रखेंगे:

- (ii) जब कभी उक्त अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, क्षेत्राधिकार सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष खाता विवरण प्रस्तुत करेंगे;
- (iii) उक्त प्रक्रिया को पूरा होने के पश्चात्, संसाधित माल को आयातक के परिसर में वापस भेज दें, एक छुटपुट काम करने वाला कार्यकर्ता को शेष प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक बीजक के कवर के अधीन या ई-वे बिल, यदि कोई हो, या जहां से माल प्राप्त हुआ था।"।
- 7. उक्त नियम में, नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "7. अप्रयुक्त या दोषपूर्ण माल का पुन: निर्यात या निकासी (1) आयातक जिसने छूट अधिसूचना का लाभ उठाया है, आयात की तारीख से छह मास के भीतर संबंधित छूट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार आयातित माल का उपयोग करेगा और इस प्रकार आयातित, अप्रयुक्त या दोषपूर्ण माल के संबंध में, आयातक के पास उक्त अविध के भीतर घरेलू खपत के लिए या तो पुनः निर्यात करने या उसकी निकासी करने का विकल्प है।
 - (2) ऐसे आयातक, जिसने उप-नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे माल का पुन: निर्यात का विकल्प लिया है, मासिक विवरण में आवश्यक निर्यात दस्तावेजों का विवरण प्रदान करके अभिलिखित किया जाएगा:

परन्तु पुनः निर्यात के लिए ऐसे माल का मूल्य आयात के समय उक्त माल के मूल्य से कम नहीं होगा।

- (3) ऐसा आयातक, जो उप-नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट घरेलू उपभोग के लिए अप्रयुक्त या दोषपूर्ण माल की निकासी करने का विकल्प रखता है, सामान्य पोर्टल पर ब्याज के साथ शुल्क और ऐसी निकासी की विशिष्टियों का भुगतान करेगा और शुल्क का भुगतान मासिक विवरण में आयातक द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।
- (4) आयातक के पास, विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के पश्चात् ऐसे माल पर लगाए गए शुल्क के बीच अंतर के बराबर शुल्क के भुगतान पर, आयातित पूंजीगत माल की निकासी करने का विकल्प होता है, किन्तु छूट के लिए और पहले से भुगतान किया गया, यदि कोई हो आयात के समय, ब्याज के साथ, अधिनियम की धारा 28कक के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित दर पर, सीधी रेखा पद्धति में अनुमत मूल्यहास मूल्य पर, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है, अर्थातु:-
- (i) प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @ 4%;
- (ii) दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @ 3%;
- (iii) तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @3%;
- (iv) चौथे और पांचवें वर्ष में हर तिमाही के लिए @ 2.5%;
- (v) और उसके बाद प्रत्येक तिमाही के लिए @ 2%।
- स्पष्टीकरण (i) तिमाही के किसी भी भाग के लिए मूल्यह्रास की दर की गणना करने के लिए, एक पूर्ण तिमाही को ध्यान में रखा जाएगा।
- (ii) स्वैच्छिक भुगतान की अनुमति उस तारीख से दी जाएगी जब आयातित पूंजीगत माल इसकी मंजूरी की तारीख तक छूट अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग में आया है।
- (5) उप-नियम (4) के संबंध में, ऐसी निकासी की विशिष्टियों और शुल्क का भुगतान मासिक विवरण में आयातक द्वारा अभिलिखित किया जाएगा ।"।
- 8. नियम 8 में, -
 - (क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(1) नियम 7 के उप-नियम (1) या नियम 7 के उप-नियम (3) और (4) में निर्दिष्ट भुगतान में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने में आयातक की ओर से किसी भी विफलता की स्थिति में भुगतान नहीं किया जाता है या कम भुगतान किया जाता है, यथास्थिति, सीमाशुल्क के उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त, जो उस परिसर पर अधिकार क्षेत्र रखते हैं जहां आयातित माल का उपयोग माल के विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए किया

जाएगा ऐसे माल पर उद्गहणीय शुल्क के बीच अंतर के बराबर राशि की वसूली की कार्यवाही शुरू करने के लिए बांड का आह्वान करके कार्रवाई करेगा किन्तु लेकिन छूट के लिए और जो पहले से भुगतान किया गया है, यदि कोई हो, आयात के समय, ब्याज के साथ, द्वारा निर्धारित दर पर अधिनियम की धारा 28कक के अधीन जारी अधिसूचना, माल के आयात की तारीख से शुरू होने वाली अविध के लिए जिस पर छूट का लाभ उठाया गया था और शुल्क के अंतर की पूरी राशि के वास्तविक भगतान की तारीख के साथ समाप्त होने के लिए वह उत्तरदायी है।"।

- (ख) उप-नियम (2) में "यथास्थिति, सीमाशुल्क का अधिकारक्षेत्र वाला उप-आयुक्त, या, सीमाशुल्क का सहायक आयुक्त" शब्दों के स्थान पर यथास्थिति, सीमाशुल्क का उप-आयुक्त या सीमाशुल्क का सहायक आयुक्त शब्द रखे जाएंगे।
- 9. उक्त नियम में प्ररुप के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात्:-

<u>प्ररूप आई जी सी आर-1</u> [नियम (1)4*देखें*] (आयातक द्वारा प्रदान की जाने वाली पूर्व सूचना)

<u>भाग-क</u>

I. आयातक का विवरण

| क्र.सं. | सूचना | ब्यौरा |
|---------|-------------------|--------|
| 1 | आईई.सी. संख्या. | |
| 2 | आयातक का नाम: | |
| 3 | आयातक का मूल पता: | |
| 4 | जी.एस.टी.आई.एन | |
| 5 | आयात का बंदरगाह | |

II. आयातक या छुटपुट काम करने वाले के परिसर में उपयोग किए जाने के आशय से रियायती दर पर आयातित माल:

| क्र.सं. | सी टी एच | उपयोग किए जाने के लिए आयातित माल का विवरण |
|---------|----------|---|
| | | |
| | | |

III. <u>उठाया गया छूट का लाभ</u>

| क्र.सं. | अधिसूचना संख्या | शुल्क की रियायती दर पर आयातित कच्चे पदार्थों या घटकों के उपयोग से विनिर्मित होने के आशय से माल का विवरण |
|---------|-----------------|--|
| | | |
| | | |

IV. <u>माल का विनिर्माण करने का आशय</u>

| क्र.सं. | सीटीएच | शुल्क की रियायती दर पर आयातित कच्चे पदार्थों या घटकों के उपयोग से विनिर्मित होने के आशय से माल का विवरण |
|---------|--------|--|
| | | |
| | | |

V. आयातक द्वारा आई जी सी आर के लिए उपयोग की जाने वाली विनिर्माण सुविधाएं

| क्र.सं. | जी एस टी आई एन | विनिर्माण इकाई का पता | आयातक की विनिर्माण सुविधा पर अपनाए गए उत्पादित माल या प्रक्रिया। |
|---------|----------------|-----------------------|---|
| | | | |
| | | | |

VI. छुटपुट काम करने वालों के द्वारा आई जी सी आर के लिए उपयोग की जाने के लिए आशयित निर्माण सुविधाएं I एक से अधिक))छुटपुट काम करने वालों के मामले में, प्रत्येक छुटपुट काम करने वालों के संबंध में उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए

| क्र.सं. | छुटपुट काम करने वालों का जी.एस.टी.आई.एन या पैन | छुटपुट काम करने वालों के विनिर्माण इकाई का पता | छुटपुट काम करने वालों के विनिर्माण सुविधा पर अपनाए गए उत्पादित माल या प्रक्रिया। |
|---------|--|---|--|
| | | | |
| | | | |

VII. आयातक द्वारा आयातित माल के उपयोग के साथ प्रदान की जाने वाली आउट-पुट सेवा की प्रकृति.।

| क्र.सं. | एस ए सी कोड | शुल्क की रियायती दर पर आयातित कच्चे पदार्थों या घटकों के उपयोग से विनिर्मित होने के आशय से माल का विवरण |
|---------|-------------|--|
| | | |
| | | |

<u>भाग -ख</u>

(भाग क प्रस्तुत करने के बाद भरा जाना है)

बांड विवरण

| 1 | निरंतरता बांड नं. और तारीख | |
|-----|----------------------------|--|
| (a) | बांड की राशि | |
| (b) | बांड की शेष राशि | |

टिप्पण:- बांड की राशि वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित शुल्क पूर्वगामी होगी

प्ररूप आई जी सी आर-2

[नियम 6(1) देखें]

(आयातित माल की प्राप्ति न होने के संबंध में सूचना)

| I. | आई आई | एन: | |
|----|-------|-----|--|
|----|-------|-----|--|

II. प्राप्त न किए गए मालों का विवरण

| बिल की प्रविष्टि सं. | बी ई तारीख | आयात का बंदरगाह | बीजक सं. | मद सं. | प्राप्त नहीं हुई मात्रा | भुगतान की गई राशि |
|-------------------------|---------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

प्ररूप आई जी सी आर -3 [नियम 6(2) देखें]

(20----- के लिए मासवार विवरण)

- I. आई आई एन:
- II. मास के दौरान आयात किए गए, उपभोग किए गए, पुन ∶िनर्यात किए गए, उपयोग के लिए लंबित या शुल्क के भुगतान पर मंजूरी दिए गए माल का विवरण

| बीई सं. | बी ई | आयात | बीजक सं. | मद सं. | माल का विवरण | विनिर्दिष्ट | आयात की | निकासी की तारीख |
|---------|-------|-------|----------|--------|--------------|-------------|---------|-----------------|
| | तारीख | का | | | | प्रयोजन | मात्रा | |
| | | पत्तन | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |

सतत्...

| माल का मूल्य | बी सी डी | पूर्वगाः अन्य सीमा शुल्क का विवरण | मी कर्तव्य आई जी एस टी | उप कर | प्राप्त मात्रा | माल की प्राप्ति की तारीख | प्राप्त नहीं हुई मात्रा | आशयित प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली मात्रा |
|--------------------|-------------|---|------------------------------|-------|----------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | |

सतत्...

| पुन निर्यात: | शुल्क के भुगतान | स्टॉक में लं | बित मात्रा |
|--------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| (मात्रा) | पर माल की निकासी (मात्रा) | आयातक के परिसर में लंबित मात्रा | आयातक की अन्य इकाईयों या छुटपुट काम |
| | ागकासा (मात्रा) | | करने वाले के पास लंबित मात्रा |
| (19) | (20) | (21) | (22) |
| | | | |

III. छुटपुट काम और इकाई अंतरण काविवरण

| बी ई संख्या | बी ई तारीख | आयात का पत्तन | बीजक सं. | मद सं. | छुटपुट काम के लिए भेजी गई मात्रा | | चालानई / | तारीख | प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली और जे डब्ल्यू | लिए उपयोग की जाने वाली मात्रा और आयातक के परिसर में वापस प्राप्त | की जाने वाली | प्रसंस्करण के बिना जे डब्ल्यू से आयातक के परिसर में प्राप्त मात्रा |
|----------------|---------------|---------------------|-------------|-----------|---|-----|----------|-------|--|--|-----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | | | | | | | |

IV. पुन:निर्यात के ब्यौरे

| बी ई संख्या | बी ई तारीख | आयात का पत्तन | बीजक सं. | मद सं. | पुन :निर्यात की गई मात्रा | एस बी सं. | एस बी तारीख | निर्यात का पत्तन |
|-------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------------------|-----------|----------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

V. शुल्क के भुगतान पर निकासी

| बी ई | बी ई | आयात | बीजक | मद | निकाली गई | संदत्त रकम | अवक्षय के पश्चात् | टिप्पणियां |
|--------|-------|-------|------|-----|-----------|------------|-------------------|------------|
| संख्या | तारीख | का | सं. | सं. | मात्रा | | निकाला गया पूंजी | |
| | | पत्तन | | | | | माल | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |

[फा. सं. 450/28/2016-सीयूएस-IV]

अनंथ राथाकष्णन. उप सचिव

टिप्पण: मूल नियम संख्यांक सा.का.नि. 803(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक 60(अ), तारीख 1 फरवरी, 2021 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 07/2022 - Customs (N. T.)

- **G.S.R. 96(E).**—In exercise of the powers conferred by section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017, namely: -
 - 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Amendment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the 1st day of March, 2022.
 - 2. In the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, after clause (aa), the following clauses shall be inserted, namely:—
 - "(ab) 'common portal' means the common customs electronic portal as referred to in section 154C of the Act:
 - (ac) 'customs automated system' means the Indian Customs Electronic Data Interchange System;
 - (ad) 'date of import' means the date of the order made under section 47 of the Act permitting clearance of such goods;".
 - 3. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:
 - "4. Importer to give prior information. -(1) The importer shall provide one-time information on the common portal in Form IGCR-1 (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) containing the following particulars, namely:—
 - (i) the name and address of the importer and his job worker, if any;

- (ii) the goods produced or process undertaken at the manufacturing facility of the importer or his job worker, if any, or both;
- (iii) the nature and description of goods imported used in the manufacture of goods at the premises of the importer or the job worker, if any;
- (iv) particulars of the exemption notification applicable on such import;
- (v) nature of output service rendered utilising the goods imported; and
- (vi) the intended port(s) of import
- (2) On acceptance of the above information, an Import of Goods at Concessional Rate Identification Number (IIN) shall be generated against such information furnished:

Provided that such information may be updated on the common portal in case of a change in the details furnished in such Form.

- (3) The importer who intends to avail the benefit of an exemption notification shall submit a continuity bond with such surety or security as deemed appropriate by the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction over the premises where the goods imported shall be put to use for manufacture of goods or for rendering output service, with an undertaking to pay the amount equal to the difference between the duty leviable on inputs but for the exemption and that already paid, if any, at the time of import, along with interest, at the rate fixed by notification issued under section 28AA of the Act, for the period starting from the date of import of the goods on which the exemption was availed and ending with the date of actual payment of the entire amount of the difference of duty that he is liable to pay.".
- **4.** In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:
 - **"5. Procedure to be followed.-** (1) The importer who intends to avail the benefit of an exemption notification shall mention the IIN as indicated in sub-rule (2) of rule 4 and continuity bond number and details while filing the Bill of Entry.
 - (2) Accordingly, the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the Custom Station of importation, shall allow the benefit of the exemption notification to the importer.
 - (3) Once a Bill of Entry is cleared for home consumption, the bond submitted by the importer gets debited automatically in the customs automated system and the details shall be made available electronically to the Jurisdictional Custom Officer.".
- 5. In the said rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:
 - **"6. Importer to maintain records. -** (1) The importer shall maintain an account in such manner to clearly indicate the quantity-
 - (i) and value of goods imported;
 - (ii) and date of receipt of the goods imported in the relevant premises;
 - (iii) of such goods consumed;
 - (iv) of goods sent for job work, nature of job work carried out;
 - (v) of goods received after job work;
 - (vi) of goods re-exported, if any, under rule 7; and
 - (vii) remaining in stock, according to Bills of Entry

and shall produce the said account as and when required by the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction over the premises or where the goods imported shall be put to use for manufacture of goods or for rendering output service:

Provided that in case of non-receipt or short receipt of goods imported in the relevant premises, the importer shall intimate such non-receipt or short receipt immediately on the common portal in the Form IGCR-2 (Import of Goods at Concessional Rate of Duty).

- (2) The importer shall submit a monthly statement on the common portal in the Form IGCR-3 (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) appended to these rules by the tenth day of the following month."
- **6.** In the said rules, for rule 6A, the following rules shall be substituted, namely:
 - "6A. Procedure for allowing imported goods for job work. -(1) The importer shall maintain a record of the goods sent for job work during the month and mention the same in the monthly statement specified in sub-rule (2) of rule 6.
 - (2) The importer shall send the goods to the premises of the job worker under an invoice or wherever applicable through an e-way bill, as specified in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), mentioning the description and quantity of the goods.
 - (3) The maximum period for which the goods can be sent to the job worker shall be six months from the date of invoice or an e-way bill as specified in sub-rule (2).
 - (4) In case the importer is not able to establish that the goods sent for job work have been used as per the particulars mentioned under rule 4, the Jurisdictional Custom Officer shall take necessary action against the importer under rules 8 and 8A.
 - (5) The job worker shall,-
 - (i) maintain an account of receipt of goods, manufacturing process undertaken thereon and the waste generated, if any, during such process;
 - (ii) produce the account details before the Jurisdictional Custom Officer as and when required by the said officer; and
 - (iii) after completion of the job work, send the processed goods to the importer or to another job worker as directed by the importer for carrying out the remaining processes, if any, under the cover of an invoice or an e-way bill.
 - **6B.** Procedure for allowing imported goods for unit transfer. (1) The importer shall maintain a record of the goods sent for unit transfer during the month and mention the same in the monthly statement specified in sub-rule (2) of rule 6.
 - (2) The importer shall send the goods under an invoice or wherever applicable through an e-way bill, as specified in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), mentioning the description and quantity of the goods.
 - (3) The importer shall in relation to transfer of goods to another unit,-
 - (i) maintain an account of receipt of goods, manufacturing process undertaken thereon and the waste generated, if any, during such process;
 - (ii) produce the account details before the Jurisdictional Custom Officer as and when required by the said officer; and
 - (iii) after completion of the said process, send the processed goods back to the premises of the importer from where the goods were received or to a job worker for carrying out the remaining processes, if any, under the cover of an invoice or an e-way bill.".
- 7. In the said rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely: —
- "7. **Re-export or clearance of unutilised or defective goods.** (1) The importer who has availed the benefit of an exemption notification shall use the goods imported in accordance with the conditions specified in the concerned exemption notification within six months from the date of import and with respect to unutilised or defective goods so imported, the importer has an option to either re-export such goods or clear the same for home consumption within the said period.
- (2) The importer who opts to re-export such goods as specified in sub-rule (1), shall record the details of necessary export documents in the monthly statement:

Provided that the value of such goods for re-export shall not be less than the value of the said goods at the time of import.

- (3) The importer who opts to clear the unutilised or defective goods for home consumption as specified in sub-rule (1), shall pay the duty along with interest on the common portal and the particulars of such clearance and the payment of duty shall be recorded by the importer in the monthly statement.
- (4) The importer has an option to clear the capital goods imported, after having been used for the specified purpose, on payment of duty equal to the difference between the duty leviable on such goods but for the exemption availed and that already paid, if any, at the time of importation, along with interest, at the rate fixed by the notification issued under section 28AA of the Act, on the depreciated value allowed in straight line method, as specified below, namely: —

(i) for every quarter in the first year @ 4%;

(ii) for every quarter in the second year @ 3%;

(iii) for every quarter in the third year @3%;

(iv) for every quarter in the fourth and fifth year @ 2.5%;

(v) and thereafter for every quarter @ 2%.

Explanation. - (i) For the purpose of computing rate of depreciation for any part of a quarter, a full quarter shall be taken into account.

- (ii) The depreciation shall be allowed from the date when the imported capital goods have come into use for the purpose as specified in the exemption notification upto the date of its clearance.
- (5) The importer shall, in relation to sub-rule (4) record the particulars of such clearance and payment of duty in the monthly statement."
- **8.** In rule 8,-
- (a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: —
- "(1) In the event of any failure on the part of the importer to comply with the conditions specified in subrule (1) of rule 7 or where the payment referred in sub-rule (3) and (4) of rule 7 is not paid or short paid, the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction over the premises where the imported goods shall be put to use for manufacture of goods or for rendering output service shall take action by invoking the bond to initiate the recovery proceedings of the amount equal to the difference between the duty leviable on such goods but for the exemption and that already paid, if any, at the time of importation, along with interest, at the rate fixed by the notification issued under section 28AA of the Act, for the period starting from the date of import of the goods on which the exemption was availed and ending with the date of actual payment of the entire amount of the difference of duty that the importer is liable to pay.";
- (b) in sub-rule (2), for the words "the Jurisdictional Deputy Commissioner of Customs, or, as the case may be, the Assistant Commissioner of Customs", the words "the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be," shall be substituted.
- 9. In the said rules, for the Form, the following Forms shall be substituted, namely:-

Form IGCR-1

[See rule 4(1)]

$(Prior\ information\ to\ be\ provided\ by\ the\ importer)$

PART-A

I. Details of importer

| S.No. | Information | Details |
|-------|------------------------------------|---------|
| 1 | I.E.C No. | |
| 2 | Name of the importer: | |
| 3 | Principal address of the importer: | |
| 4 | GSTIN | |
| 5 | Port of import | |

II. Goods imported at concessional rate intended to be used at premises of importer or job worker:

| S.No. | СТН | Description of goods imported to be used |
|-------|-----|--|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

III. The exemption benefit availed

| S.No. | Notification number | Description of goods intended to be manufactured by use of raw materials or components imported at concessional rate of duty |
|-------|---------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

IV. Goods intended to be manufactured

| S.No. | СТН | Description of goods intended to be manufactured by use of raw materials or components imported at concessional rate of duty |
|-------|-----|--|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

V. Manufacturing facilities intended to be used by importer

| S.No. | GSTIN | Address of the manufacturing unit | Goods produced or process undertaken at the manufacturing facility of the importer. |
|-------|-------|-----------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | |

VI. Manufacturing facilities intended to be used by job worker (in case of more than one job worker, above information should be furnished in respect of each job worker)

| S.No. | GSTIN of Job worker or PAN of job worker | Address of the manufacturing unit of job worker | Goods produced or process undertaken at the manufacturing facility of the job worker. |
|-------|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | |

VII. Nature of out-put service to be provided by the importer with use of goods imported.

| S.No. | SAC Code | Description of goods intended to be manufactured by use of raw materials or components imported at concessional rate of duty |
|-------|----------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

PART-B

(To be filled after submission of Part A)

Bond details

| 1 | Continuity bond number and date | |
|-----|---------------------------------|--|
| (a) | Amount of bond | |
| (b) | Balance amount of bond | |

Note:- The amount of bond will be the estimated duty foregone during the financial year.

Form IGCR-2

[See rule 6(1)]

(Intimation regarding non-receipt of goods imported)

| I. IIN: | |
|---------|--|
|---------|--|

II. Details of goods not received

| Bill of entry no | BE date | Port of import | Invoice No | Item no | Quantity not received | Amount paid |
|------------------|---------|----------------|------------|---------|-----------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

FORM IGCR -3

[See rule 6(2)]

| (MONTHLY STATEMENT for | ·, 20) |
|------------------------|--------|
|------------------------|--------|

I. IIN:

II. Details of goods imported, consumed, re-exported, pending for use or cleared on payment of duty during the month

| BE Number | BE Date | Port of import | Invoice No. | Item No. | Description of goods | Specified purpose | Quantity of import | Date of clearance |
|--------------|------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |

Contd...

| Value | | Duty f | oregone | | Quantity | Date of | Quantity not received | Quantity used for intended purpose |
|-------------|------|----------------------------|---------|------|----------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| of goods | BCD | Other Customs duties | IGST | Cess | received | receipt of goods | | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | |

Contd...

| Goods Re | | Quantity pending in stock | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| exported (Quantity) | payment of duty (Quantity) | Quantity pending in the importer's premises | Quantity pending with job worker or other units of the importer | | | | | |
| (19) | (20) | (21) | (22) | | | | | |
| | | | | | | | | |

III. Job work and unit transfer details

| BE Number | BE Date | Port of import | No. | Item No. | Quantity sent for Job work | | Delivery challan/e way bill | | used for intended purpose and removed | Quantity used for intended purpose and received back at the importer's premises | Quantity used for intermediate product and received back at importer's premises | Quantity received at the importer's premises from the JW without processing |
|--------------|------------|----------------------|-----|-------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|---|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | | | | | | | |

IV. Re-export details

| BE Number | BE Date | Port of import | Invoice No. | Item No. | Quantity re-exported | SB No. | SB Date | Port of export |
|--------------|------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------|---------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

V. Clearance on payment of duty

| BE Number | BE Date | Port of import | Invoice No. | Item No. | Quantity cleared | Amount paid | Capital goods cleared after depreciation (Yes or No) | Remarks |
|--------------|------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|---|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |

[F. No. 450/28/2016-Cus-IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) *vide* number G.S.R. 803(E), dated the 30th June, 2017 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 60(E), dated the 1st February, 2021.